<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या.05/2025

प्रश्न.**1** सीईएन 05/2025 के लिए आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि क्या है?

उत्तर आवेदन के प्रारम्भ होने की तिथि 31-10-2025. है।

प्रश्न.**2** सीईएन 05/2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30-11-2025 @ 23.59 बजे है और जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 02-12-2025 है।

प्रश्न.**3** आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या हैं?

उत्तर संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी और 03.11.2025 से 12.12.2025 तक सक्रिय रहेगी। यदि अभ्यर्थी "खाता बनाएँ→ फ़ॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी के विवरण के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक बार के लिए 250/- रुपये का संशोधन शुल्क (वापसी योग्य नहीं) देकर ऐसा कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और 'चुने हुए आरआरबी' में भरे गए विवरण संशोधित नहीं किए जा सकते हैं)।

प्रश्न.**4** मेरे अंतिम परिणाम 30.11.2025 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर नहीं, निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थियों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ होनी चाहिए।

प्रश्न.**5** 'खाता बनाने' के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?

उत्तर उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए।

प्रश्न.**6** मैंने सीईएन 01/2025 के लिए एक खाता बनाया है। क्या मुझे सीईएन 05/2025 के लिए एक और खाता बनाना चाहिए?

उत्तर नहीं, जिन उम्मीदवारों ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 या 2025 में प्रकाशित किसी भी अधिसूचना के दौरान पहले ही खाता बना लिया है, उन्हें दोबारा खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीईएन 05/2025 के लिए आवेदन करने हेतु उसी उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।

प्रश्न.**7** 'खाता बनाने' की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर 'आवेदन बटन' के अंतर्गत, क्रिएट अकाउंट' चुनें, उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसे दर्ज करके सबमिट करना होगा।

प्रश्न.**8** क्या मैं 'खाता बनाएँ' विवरण संशोधित कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर खाता बनाने के बाद उम्मीदवार "खाता बनाएँ→ के किसी भी विवरण को संशोधित नहीं कर सकते/सकती हैं।

प्रश्न.**9** 'खाता बनाएं' के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

उत्तर खाता बनाने के बाद, RRB क्रेडेंशियल या आधार क्रेडेंशियल का उपयोग करके rrapply.gov.in पोर्टल पर आवेदन में लॉग-इन करें।

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पाँच मुख्य खंड हैं जैसे व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड करना, पूर्वावलोकन तथा वरीयता और सबमिट करें।
- "खाता बनाएँ" चरण में भरे गए 12 विवरण आवेदन में पहले से ही दिखाई देंगे जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विवरण से शुरू करते हुए, सभी विवरण दर्ज करके शुरुआत करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, उसे सेव करें और अगले भाग पर जाएँ और इस तरह तब तक जारी रखें जब तक आप अंतिम खंड, यानी पूर्वावलोकन और वरीयता और सबमिट, तक नहीं पहुँच जाते, जहाँ उम्मीदवार अंततः

भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है।

- शुल्क (फीस) भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को आरआरबी से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। इसके बाद, उम्मीदवार जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं जिनमें पंजीकरण संख्या उल्लेखित होगा।

नोट: जिन उम्मीदवारों ने 2024 या 2025 की आरआरबी अधिसूचनाओं के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन करते समय आवेदन मॉड्यूल के व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण और शैक्षणिक योग्यता के संबंधित पृष्ठों पर अपने पिछले सहेजे गए डेटा की शुद्धता की जाँच करें और फिर भुगतान हेतु आवेदन जमा करने के लिए आगे बढ़ें।

'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म में भरे गए विवरण में (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र क्रमांक, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र दिनांक, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र क्रमांक, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र दिनांक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चुने हुए आरआरबी सहित आधार ई-केवाईसी विवरण) को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न.10 क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर एप्लिकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएँ मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

प्रश्न.11 लॉगइन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें।

प्रश्न.12 सीईएन 05/2025 में कितने पे-लेवल हैं?
उत्तर सीईएन 05/2025 (लेवल-6) में केवल एक पे-लेवल है।

प्रश्न.13 आवेदन कैसे करें?
उत्तर आवेदन कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पैरा 14.1 से 14.5.2 देखें। गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

प्रश्न.14 आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?
उत्तर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जमा किए गए आवेदन की पंजीकरण संख्या को नोट करके रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और RRBs के साथ पत्राचार के लिए किया जाएगा। विस्तृत सीईएन 05/2025 के पैरा 16.0 (b) (iv) देखें।

प्रश्न.15 दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है?
उत्तर दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 30.11.2025 तक या उससे पहले अपना विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

प्रश्न.16 क्या मैं समान वेतन स्तर के लिए विभिन्न आरआरबी में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर नहीं। उम्मीदवारों को केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

प्रश्न.17 क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से ज़्यादा आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे और आरआरबी व आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न.18 क्या मैं एक ही आरआरबी में कई आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही आरआरबी में कई आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे और आरआरबी तथा आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रश्न.19 मैंने लेसिक सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?

उत्तर लेसिक सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार उन पदों के लिए योग्य हैं जिनके लिए चिकित्सा मानक बी2 और सी2 आवश्यक हैं। कृपया सीईएन 05/2025 के पैरा 3.0 का नोट (b) देखें।

प्रश्न.20 डिजिलॉकर/आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है?

उत्तर उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए डिजिलॉकर/आधार सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने और सीबीटी के दौरान प्रतिरूपण को रोकने के लिए, आरआरबी आधार विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग नहीं करेंगे। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक सख्त और विस्तृत जाँच की जाएगी।

प्रश्न.21 यदि मेरे पास आधार नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएँ→ चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान "आधार सत्यापित करें→ सुविधा का उपयोग करके और अपना आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणीकरण कर सकते हैं। किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सुगम प्रक्रिया संभव होगी।यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी काफ़ी सख्त और विस्तृत जाँच की जाएगी।

प्रश्न.22 यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है, तो मुझे कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए?

उत्तर आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज़ होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए जाने पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदकों को 'खाता बनाएँ' के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में, दोनों नाम आवेदन में दिखाई देंगे।

प्रश्न.23 यदि मैं अपना खाता लॉगइन करने के लिए पासवर्ड भूल गया/गई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर लॉगिन पृष्ठ पर 'पासवर्ड भूल गए/गई' विकल्प पर क्लिक करें। अपना पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपनी जन्मतिथि के साथ। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाईं ओर उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं।

प्रश्न.24 क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता/सकती हूँ?

उत्तर हाँ। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करना चाहिए। लॉग-इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाईं हिस्से में उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।

प्रश्न.25 क्या मैं अपना 'चुना हुआ आरआरबी' बदल सकता/सकती हूँ?

उत्तर नहीं, आप आवेदन जमा करने के बाद 'चुने हुए आरआरबी' को नहीं बदल सकते/सकती हैं।

प्रश्न.26 क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण संशोधित कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर हाँ। 'खाता बनाएँ' के दौरान दर्ज किए गए विवरणों के अलावा आवेदन में कोई भी विवरण आवेदन जमा होने और पंजीकरण संख्या जनरेट होने तक संशोधित किया जा सकता है।

प्रश्न.27 मैंने आवेदन में अपने समुदाय/जाति का गलत उल्लेख किया है। क्या मैं आवेदन जमा करने के बाद अपने समुदाय/जाति में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर हाँ, संशोधन अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क देकर ही विवरण संपादित करने की अनुमति है। हालाँकि, संशोधन अवधि समाप्त होने के बाद विवरण संपादित करने की अनुमति नहीं है। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपको ऑनलाइन आवेदन के अनुसार समुदाय और जाति का विवरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी केवल "अनारक्षित→ श्रेणी के अंतर्गत ही मानी जाएगी, बशर्ते आप सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों।

प्रश्न.28 क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भुगतान करने से पहले अपने आवेदन विवरण संशोधित कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर नहीं, उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद विवरण संशोधित नहीं कर सकते/सकती हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वरीयता और पूर्वावलोकन एवं सबमिट पृष्ठ पर आवेदन पूर्वावलोकन में अपने द्वारा भरे गए विवरण की सत्यता की दोबारा जाँच करें और यदि सभी जानकारी सही है तो आवेदन जमा करें, क्योंकि भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि आवेदन पूर्वावलोकन में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे " संशोधित करें→ बटन पर क्लिक करके आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पृष्ठ पर गलत जानकारी को सुधार सकते हैं, फिर सत्यता के लिए आवेदन का दोबारा पूर्वावलोकन कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन जमा करने के बाद, अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वे 03-12-2025 से 12-12-2025 तक संशोधन अवधि के दौरान प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न.29 'नि:शुल्क यात्रा प्राधिकरण' ('नि:शुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही 'मुफ़्त यात्रा प्राधिकरण' ('नि:शुल्क रेलवे पास) का लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न.30 मैं "नि:शुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ़्त रेलवे पास) कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय, ऐसे उम्मीदवारों को "क्या आप परीक्षा के लिए मुफ़्त रेल यात्रा पास प्राप्त करना चाहते हैं→ के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से "हाँ→ चुनना होगा और 'निकटतम रेलवे स्टेशन' भरना होगा। मुफ़्त यात्रा प्राधिकरण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, अन्यथा आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकरण अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

प्रश्न.31 मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में, उनके शहर सूचना स्लिप/ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (शयन कक्ष रेलवे पास) अंकित होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने सिटी-इंटीमेशन स्लिप /ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। अधिक जानकारी के लिए, केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 05/2025 का पैरा 19:0 (e) का संदर्भ देखें।

प्रश्न.32 मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पा रहा/रही हूँ।
उत्तर जांचें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़ 'पीडीएफ' प्रारूप में है और उसका आकार 400 केबी से कम है।

प्रश्न.33 'ईबीसी' क्या है?
उत्तर 'ईबीसी' का अर्थ 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है (या) बीपीएल कार्ड धारक हैं या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र धारक हैं (या) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी धारक हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

प्रश्न.34 ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं?
उत्तर ईबीसी उम्मीदवारों को "शुल्क में छूट→ दी जाती है। विस्तृत सीईएन संख्या 05/2025 का पैरा 7.3 देखें।

प्रश्न.35 यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा?
उत्तर यदि किसी उम्मीदवार ने ईबीसी के रूप में शुल्क में छूट का लाभ उठाया है, तो उसके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले एक वैध आय प्रमाणपत्र (सीईएन के अनुलग्नक III A के अनुसार) या बीपीएल कार्ड या रेलवे द्वारा जारी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (इज़्ज़त एमएसटी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र होना चाहिए और उसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय इसे जमा करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन का पैरा 7.3 देखें।

प्रश्न.36 क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं?
उत्तर नहीं। ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट के पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है।

प्रश्न.37 अल्पसंख्यकों में कौन शामिल है?

उत्तर अल्पसंख्यकों के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है जहां से अभ्यार्थी संबंधित है यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले किसी भी छूट/हटाने/समावेश के अधीन है।।

प्रश्न.38 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को क्या लाभ मिलते हैं? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्या होगा?

उत्तर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में छूट' दी जाती है और वे आरक्षण लाभों के लिए पात्र नहीं हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा (सीईएन के अनुलग्नक IV के अनुसार) के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

प्रश्न.39 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं?

उत्तर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन संख्या 05/2025 के पैरा 8.13 का संदर्भ लें।

प्रश्न.40 शुल्क में छूट के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।

प्रश्न.41 इस सीईएन-05/2025 के लिए आयु की गणना हेतु निर्णायक तिथि क्या है?

उत्तर इस सीईएन -05/2025 के लिए आयु की गणना हेतु निर्णायक तिथि 01.01.2026 है।

प्रश्न.42 शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्णायक तिथि क्या है? क्या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका परिणाम 30/11/2025 के बाद अपेक्षित है?

उत्तर उम्मीदवारों (मौजूदा/नए) के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 30/11/2025 तक या उससे पहले अपनी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक /तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

प्रश्न.43 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का दर्जा प्राप्त करने हेतु निर्णायक तिथि क्या है?

उत्तर इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-असहाय वर्ग (एनसीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए समुदाय/श्रेणी की स्थिति को केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए ही माना जाएगा। उसके बाद इस स्थिति में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8.0 (वर्टिकल रिजर्वेशन) देखें। एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र मौजूद हो। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 30.11.2025 तक मान्य हो, प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न.44 मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, क्या मैं जेई के पदों के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर हाँ। उसी विषय में इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा के बदले बी.ई/बी.टेक जैसी उच्च योग्यताएँ भी स्वीकार्य हैं।

प्रश्न.45 मैंने दो वर्षीय डिप्लोमा पूरा कर लिया है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?

उत्तर नहीं, संबंधित विषय में केवल तीन वर्षीय डिप्लोमा ही स्वीकार किया जाएगा।

प्रश्न.46 मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (A) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र→ प्रस्तुत करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न.47 मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस सीईएन के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक लाभों के लिए पात्र हूँ?

उत्तर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोज़गार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी'/पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और सिविल रोज़गार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों

के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत केंद्रीय शिक्षा कार्यालय संख्या 05/2025 के पैरा 10.0 से 10.6 देखें।

प्रश्न.48 परीक्षा समूह क्या है और इसका चयन कैसे करें?

उत्तर एक से अधिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार विभिन्न परीक्षा समूहों से मेल खाता है। वह किसी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है बशर्ते वह उस पद का चयन करे जिसकी शैक्षिक योग्यता चुने गए परीक्षा समूह से मेल खाती हो। हालाँकि, ये उम्मीदवार अपनी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुसार सभी चुने गए पदों के लिए पात्र होंगे।

प्रश्न.49 दस्तावेज़ सत्यापन के समय किसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा

उत्तर रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में कार्यरत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उसी समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी। कृपया अधिसूचना के पैरा संख्या 12.0 का संदर्भ लें।

प्रश्न.50 आवेदन जमा करने के बाद, मैंने केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा?

उत्तर हाँ। यद्यपि आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवा ग्रहण कर ली है, फिर भी आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी/पैनल रद्द कर दी जाएगी।

प्रश्न.51 पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्दिष्ट विकलांगता की बेंचमार्क डिग्री क्या है?

उत्तर एक व्यक्ति को बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) के रूप में माने जाने के लिए, विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

प्रश्न.52 क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अनुपस्थिति, पदवार मानदंड तालिका (अनुलग्नक- A) में प्रत्येक पद के सामने, "बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता→ कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ दर्शाई गई है।

प्रश्न.53 मैं विभिन्न पदों के लिए विभिन्न विकलांगता की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता/सकती हूँ?

उत्तर विकलांगता के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अनुपस्थिति, पद मानदंड तालिका (अनुलग्नक- A) में प्रत्येक पद के सामने, "बेंचमार्क विकलांगता के लिए उपयुक्तता→ कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ दर्शाई गई है।

प्रश्न.54 मैं एक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हूँ, क्या मुझे सीबीटी के लिए एक स्क्राइब की आवश्यकता होगी?

उत्तर दृष्टीहिनता, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उन्हें स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब जरूरी है, तो ऐसे में स्क्राइब की सुविधा की अनुमति दी जा सकती है।
- उम्मीदवार अनुलग्नक V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(D) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- जो उम्मीदवार ऊपर बताए गए के अनुसार)स्क्राइब) लेखक के लिए पात्र हैं और स्क्राइब की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।)स्क्राइब) लेखक के लिए पात्र उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर)स्क्राइब) लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।.

प्रश्न.55 सीबीटी में पात्र उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

उत्तर स्क्राइब के पात्र उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर आरआरबी के साथ पंजीकृत हो (कृपया विस्तृत CEN-05/2025 में स्क्राइब के पंजीकरण के संबंध में पैरा 11.7.7 देखें)।
उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध 5-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करके स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना होगा।

प्रश्न.56 स्क्राइब के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर ए) किसी भी व्यक्ति को, जिसे स्क्राइब-योग्य उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब के रूप में नियुक्त किया गया है, आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर होम पेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण करना होगा।

बी) सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
सी) केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देंगे।
(कृपया विस्तृत सीईएन -05/2025 में पैरा संख्या 11.7.8 और 14.6 देखें)

प्रश्न.57 मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में मेरी जन्मतिथि आधार या अन्य पहचान पत्र से भिन्न है। मुझे आवेदन में कौन सी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी?

उत्तर आवेदन जमा करने से पहले, आधार या अन्य पहचान पत्रों में जन्मतिथि को सही करना होगा। हालाँकि, केवल मेट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र के अनुसार जन्म तिथि को आवेदन में दर्ज की जानी है।

प्रश्न.58 "शुल्क वापसी→ के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर प्रथम चरण सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल विस्तृत सीईएन संख्या 05/2025 के पैरा 7.4 के अनुसार "शुल्क वापसी→ (बैंक शुल्क की विधिवत कटौती) के पात्र हैं। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.59 कृपया मुझे आरआरबी की "शुल्क वापसी नीति→ के बारे में बताएँ।

उत्तर शुल्क वापसी नीति : भुगतान करके, आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान वापस नहीं किया जाएगा और आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैक नहीं ले सकता। शुल्क का वापसी

योग्य भाग (विस्तृत सीईएन के पैरा 7.4 के अनुसार) केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू होगा जो प्रथम चरण सीबीटी में भाग लेंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों और प्रथम चरण सीबीटी में अनुपस्थिति के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.60 आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ूँ?

उत्तर "योग्यता→ के अंतर्गत संबंधित योग्यता चुनें, योग्यता विवरण भरें और 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न.61 यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष उपलब्ध है, तो मुझे आवेदन में कौन सी तिथि दर्ज करनी चाहिए?

उत्तर यदि किसी भी योग्यता प्रमाणपत्र पर तिथि उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उपलब्ध महीने की अंतिम तिथि दर्ज करें। उदाहरण के लिए, मई-2023 को 31-05-2023 के रूप में दर्शाया जा सकता है।

प्रश्न.62 यदि ज़िला/राज्य का विभाजन हो गया है, तो मुझे किस ज़िले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?

उत्तर वर्तमान ज़िले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में संबंधित राज्य के लिए कुछ ज़िले नहीं दिखाए जाएँगे, उदाहरण के लिए... आंध्र प्रदेश के दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में विभाजन के बाद। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के ज़िलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित कर दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के ज़िलों का और विभाजन किया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान ज़िले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

प्रश्न.63 कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं?

उत्तर सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपने स्कैन किए हुए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निःशुल्क यात्रा पास प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

प्रश्न.64 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों का साइज क्या होना चाहिए?

उत्तर अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का साइज इस प्रकार है:

1. जाति प्रमाण पत्र: जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में 400 केबी तक होना चाहिए।
2. हस्ताक्षर: हस्ताक्षर न्यूनतम 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन के बीच होना चाहिए, आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) x 60 पिक्सेल (ऊँचाई), जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में 30 केबी से 49 केबी। स्कैन किए गए हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर स्थित होने चाहिए। बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) x 20 मिमी (ऊँचाई)।सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षर निर्दिष्ट बॉक्स आयामों के भीतर केंद्रित हैं। कृपया विवरण के लिए सीईएन संख्या 05/2025 का पैरा संख्या 14.5.1 देखें।

प्रश्न.65 मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर शुल्क भुगतान केवल नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क के अतिरिक्त, उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और जीएसटी भी लिया जाएगा।

प्रश्न.66 मुझे कितन ी फीस चुकानी होगी?

उत्तर केंद्रीकृत सूचना संख्या 05/2025 का पैरा 7.0 देखें।

प्रश्न.67 भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और मैं कार्यक्रम कैसे जान सकता हूँ?

उत्तर प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई)।सीबीटी के कार्यक्रम और स्थान की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से यथासमय दी जाएगी। सीबीटी के किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.68 सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है?

उत्तर कृपया पैरा-13 देखें।

प्रश्न.69 क्या नकारात्मक अंकन होगा?

उत्तर सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन होगा।

प्रश्न.70 मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए?

उत्तर उम्मीदवार "व्यक्तिगत विवरण→ पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं।

प्रश्न.71 क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ?

उत्तर हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने हुए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हैं, उतने के लिए अपनी वरीयता क्रम दर्शाएँ। आंशिक वरीयता का चयन करने वाले उम्मीदवारों पर केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेलवे ज़ोन और पदों/श्रेणियों के लिए ही विचार किया जाएगा, बशर्ते आवंटन के समय रिक्तियाँ उपलब्ध हों। यदि निश्चित पदों/श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है, तो इसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएँ जमा हो जाने के बाद, वे अंतिम मानी जाएँगी और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.72 आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: CEN 05/2025 के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ईमेल: rrb.help@csc.gov.in

फ़ोन: 9592001188/01725653333

प्रश्न.73 मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है?

उत्तर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को सफल भुगतान पर ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी।

प्रश्न.74 मेरे आवेदन के अस्वीकार होने की स्थिति में, क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा?

उत्तर आवेदन अस्वीकार होने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रश्न.75 मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई-कॉल लेटर भी जनरेट हो गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में स्वीकार कर लिया गया है?

उत्तर भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

केवल ई-कॉल लेटर जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है।

सीबीटी के समय, उम्मीदवार को सीबीटी देने से पहले, उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी।

उम्मीदवारों क ा क्रेडेंशियल उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ बाद के भर्ती के अगले चरणों अर्थात् पीईटी/मेडिकल जांच/दस्तावेज सत्यापन, में सत्यापित किया जाएगा।

प्रश्न.76 क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता/सकती हूँ?

उत्तर हाँ। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

प्रश्न.77 लाइव फ़ोटो अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया के दौरान वेबकैम या स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे का उपयोग करके अपनी लाइव फ़ोटो खींचनी होगी। पहले से मौजूद फ़ोटो अपलोड करने की अनुमति नहीं है। स्थिति, प्रकाश व्यवस्था, वातावरण और पोशाक के लिए स्क्रीन पर दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए, मोबाइल कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करें, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन करें।

आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फ़ोटो खींचने के लिए व्यापक दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

ए) उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद फ़ोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

बी) आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव फ़ोटो खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सी) लाइव फोटो वेबकैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे (स्क्रीन साइड कैमरा) से ली जा सकती है।

डी) सुनिश्चित करें कि पृष्ठभूमि के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए आप सफ़ेद कपड़े न पहनें, अधिमानतः गहरे रंग के।

ई) इसके लिए, उम्मीदवार को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा या बैठना होगा और नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा:

- फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर हो।
- कैमरे के ठीक सामने खड़े हों और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें।
- सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो और एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो।
- सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे से न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम से बाहर न हो।
- फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें।
- उम्मीदवार अपनी खींची गई तस्वीर का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे तस्वीर से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे दोबारा ले सकते हैं, जब तक कि उनका आवेदन जमा न हो जाए।
- इन दिशानिर्देशों का पालन ना करने वाले तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार किए जा सकते है।
- पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार का चेहरा आवेदन के साथ जमा की गई तस्वीर से मेल खानी चाहिए।

महत्वपूर्ण नोट:

उम्मीदवारों को पहले से मौजूद किसी मुद्रित या डिजिटल तस्वीर की तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी तस्वीर जमा करने वाले किसी भी आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विस्तृत विवरण के लिए कृपया केंद्रीय सूचना कार्यालय संख्या 05/2025 का पैरा संख्या 14.4 देखें।

प्रश्न.78 हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए?

उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:

- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा ही लिखे जाने चाहिए।
- सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन का प्रयोग करें।
- हस्ताक्षर सीधी लिखावट (जैसे, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होने चाहिए, बड़े, बड़े या अलग अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने वाले होने चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए विशिष्टताएँ:

हस्ताक्षरित कागज़ को न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें।

ईमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG

फ़ाइल आकार: 30 KB और 49 KB के बीच

ईमेज आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) 60 पिक्सेल (ऊँचाई)

स्कैन किए गए हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स में स्थित होने चाहिए: बॉक्स

आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) x 20 मिमी (ऊँचाई)।हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के केंद्र में होनी चाहिए।

(कृपया विस्तृत विवरण के लिए सीईएन संख्या 05/2025 का पैरा संख्या 14.5.1 देखें।)

प्रश्न.79 मै रिक्तियों का विवरण कहाँ पा सकता हूँ ?

उत्तर आरआरबी वार रिक्तियां अनुलग्नक 'बी' में पा सकते है।

प्रश्न.80 क्या राज्य सूची में शामिल ओबीसी ओबीसी-एनसीएल आरक्षण के लिए पात्र हैं?

उत्तर राज्य सूची में शामिल ओबीसी, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची (http://www.ncbc.nic.in पर नवीनतम सूची के अनुसार) में शामिल नहीं हैं, आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।